

2025/975

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
गोपीराम बनाम स्टेट आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 658 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.12.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 10.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p> <p><i>दि. 10.1.2026 को उपरोक्त हेतु...</i>  <i>1 कुलीन क... वास्थ... मा... इन...</i>  <i>पत्रावली 0.2025 10.01.2026 के जारी की... पत्रावली...</i>  <i>दिनांक 17.3.2026</i></p>	
17.3.2026	<p>वहुनाए फटिऊन उपस्थित। तहसीलवार रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली वाले कदम आईन्दा वा 07.4.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	
07.4.2026	<p>वहुनाए फटिऊन उपस्थित। कदम जुनी आई पत्रावली का खबलोगन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट एवं रिपोर्ट आईन्दा के आधार पर वाद जारी किया जाता है पूर्ण विवरण सहित निर्णय आता है लिखामा आता शामिल फाइल किया जावे। पत्रावली 12.4.2026 के आता शामिल फाइल आता है।</p> <p style="text-align: center;">m</p>	

